



कामगार राज्य विमा महामंडळ
(कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई/क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई/Regional Office
Mumbai
५ वा मजला, एम. जी. एम. रुग्णालय, डॉ. एस. एस. राव मार्ग,
परळ, मुंबई-400 012
5वीं मंजिल, एम. जी. एम. अस्पताल, डॉ. एस. एस. राव मार्ग,
परळ, मुंबई-400 012
5th Floor, M. G. M. Hospital, Dr. S. S. Rao Road, Parli, Mumbai - 400
012
Phone: 022 61209700/742
Email: rd-maharashtra@esic.gov.in
Website: www.esic.gov.in

31-A/27/15/MACP(Staff)/2024/Estt-II

Date: 30-03-2026

2026 का कार्यालय आदेश संख्या 90 (प्र) /O.O No 90 (A) of 2026

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 06.11.2025 को आयोजित विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19-5-2009 और कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2015-स्थापना (डी) दिनांक 22-10-2019 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (MACPS) के तहत प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जैसा कि मुख्यालय द्वारा जारी जापन संख्या ए-27/17/1/5th/97/ई. III दिनांक 30-09-1999 और संख्या ए-27/17/6thसीपीसी/2008-ई. III दिनांक 30-11-2019 के माध्यम से परिचालित किया गया और मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या ए-27/17/1/सीओडी/2012-ई. II दिनांक 11/09/2015 के माध्यम से समय-समय पर स्पष्ट किया गया है / The Competent Authority on the recommendation of the Departmental Screening Committee held on 06.11.2025 has approved the grant of 1st/ 2nd/ 3rd financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) from the date mentioned against the following employees in terms of Govt. Of India, DOPT, O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-5-2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 as circulated by HQ's office vide Memorandum No. A-27/17/1/5th/97/E. III dated 30-09-1999 and No. A-27/17/6thCPC/2008-E. III dated 30-11-2019, respectively, and vide HQ's office letter No. A-27/17/1/COD/2012-E. II dated 11/09/2015 and clarified from time to time.

Sr. No	नाम (श्री/श्रीमती/कु.) Name (Shri/Smt/Kum) and तैनाती स्थान /Place of Posting	कर्मचारी संख्या Employee Id	पदनाम Designation	प्रभावी तिथि अ वेतन स्तर के साथ वित्तीय उन्नयन का विवरण Details of Financial upgradation effective date and Level.
1	Sonali Kadam, SRO Thane	107580	Assistant	3rd FU under MACPS w.e.f. 04.02.2026 in Level - 7 of 7th CPC pay matrix

(2) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (MACP) योजना के तहत उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19-5-2009, 16-11-2009, 9-9-2010 और 22-10-2019 के कार्यालय जापन और मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 11/09/2015 के पत्र में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग /मुख्यालय द्वारा समय-समय पर स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारी वित्तीय उन्नयन की सिफारिश की तिथि से पहले विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर उच्चतर पद पर कार्यरत है,

तो इस मामले को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय विभाग के दिनांक 22.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक -1 के बिंदु संख्या 25 के अनुसार विनियमित किया जा सकता है/ The aforesaid financial upgradation under MACP Scheme shall, however, be subject to the terms and conditions as laid down in the DOPT, OM dated 19-5-2009, 16-11-2009, 9-9-2010 & 22-10-2019 and Headquarters Office letter dated 11/09/2015 and as clarified by DOPT/ HQ's office from time to time. Further, in case the employee is holding higher post on purely ad hoc basis before the date of recommendation of financial upgradation, the matter, may be regulated as per point No. 25 of Annexure -I of DOPT, OM dated 22.10.2019

(3) वे एफआर22(आई)(ए)(1) के अंतर्गत बचत खंड के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन नियतन के लिए अपना विकल्प प्रयोग करेंगे/ They shall exercise their option for fixation within one month from the date of issue of this order as per saving clause under FR22(I)(a)(1).

(4) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना /सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना योजना के तहत वेतन वर्धन के कारण कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन मिलने की स्थिति में वेतन स्तर या ग्रेड वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी/ No stepping up of Pay in the Pay Band or Grade Pay would be admissible with regard to junior getting more Pay than the senior on account of Pay Fixation under ACP / MACP Scheme.

(5) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना योजना के तहत पदोन्नति होने पर, कर्मचारी का वेतन संबंधित सेवा पुस्तिका से सेवा अभिलेखों के विवरण की पुष्टि के बाद, दिनांक 22.10.2019 के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अनुलग्नक-1 के अनुच्छेद 4 से 7 के अनुसार नियतन किया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे तत्काल क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र के संज्ञान में लाया जाए / On up-gradation under the MACP Scheme, pay of an employee shall be fixed as per para 4 to 7 of Annexure-I DOPT OM dated 22.10. 2019 after confirmation of the details of service records from respective Service Book. Discrepancy, if any, may be immediately brought to the notice of Regional Office Maharashtra.

(दिनेश सोनकुसरे/Dinesh Sonkusare)

उप निदेशक(प्र)/Dy. Director (Admn)

Copy to: -

- 1) Persons / Branches Concerned
- 2) P.S. to the Regional Director(I/c), RO-Mumbai
- 3) Deputy Director (I/c), SRO Marol, SRO Pune, SRO Thane
- 4) Establishment Branch I/ II/ III, R.O. Mumbai
- 5) CRI Branch/ Fin and Accts. Branch, R.O. Mumbai
- 6) O.O. File / Personal File/ Spare Copy
- 7) The General Secretary, ESIC Employees' Union, Mumbai
- 8) The Secretary, ESIC SC, ST, OBC Employees' and Officers' Welfare Association, Mumbai
- 9) Rajbhasha Shakha
- 10) EDP Branch to upload on website .